यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263153 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263153 के माह 08.2010 से 04.2018 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 21.05.2018 से 31.05.2018 तक सम्पादित की गयी।

<u>भाग-I</u>

1). <u>परिचयात्मकः</u>

इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.सी.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री राघवेन्द्र सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2010 से 07.08.2010 तक श्री एस.के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03.2004 से 07.2010 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263153 के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त ऊधम सिंह नगर जनपद आता है। जनपद में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, पंजीकृत परिवारों को राशन एवं मिट्टी का तेल का वितरण एवं monitoring की जाती है, जो कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वित्तीय वर्ष	स्थापना		गैर-स्थापना		कुल आवंटन	कुल व्यय	आधिक्य	बचत
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि				
2010-11	285.35	239.09	0	0	285.35	239.09	0	46.26
2011-12	276.98	209.76	0	0	276.98	209.76	0	67.22
2012-13	247.46	177.56	0	0	247.46	177.56	0	69.90
2013-14	274.35	205.58	0	0	274.35	205.58	0	68.77
2014-15	335.38	245.70	1.00	1.0	336.38	246.70	0	89.68
2015-16	261.52	229.68	17.59	15.89	279.11	245.57	0	33.54
2016-17	319.35	282.61	10.00	10.00	329.35	292.61	0	36.74
2017-18	299.64	294.41	20.00	6.12	319.64	300.53	0	19.11
2018-19 (till 04.2018)	269.57	40.25	0	0	269.57	40.25	0	229.32

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ: (क) केंद्रान्श (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियाँ			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

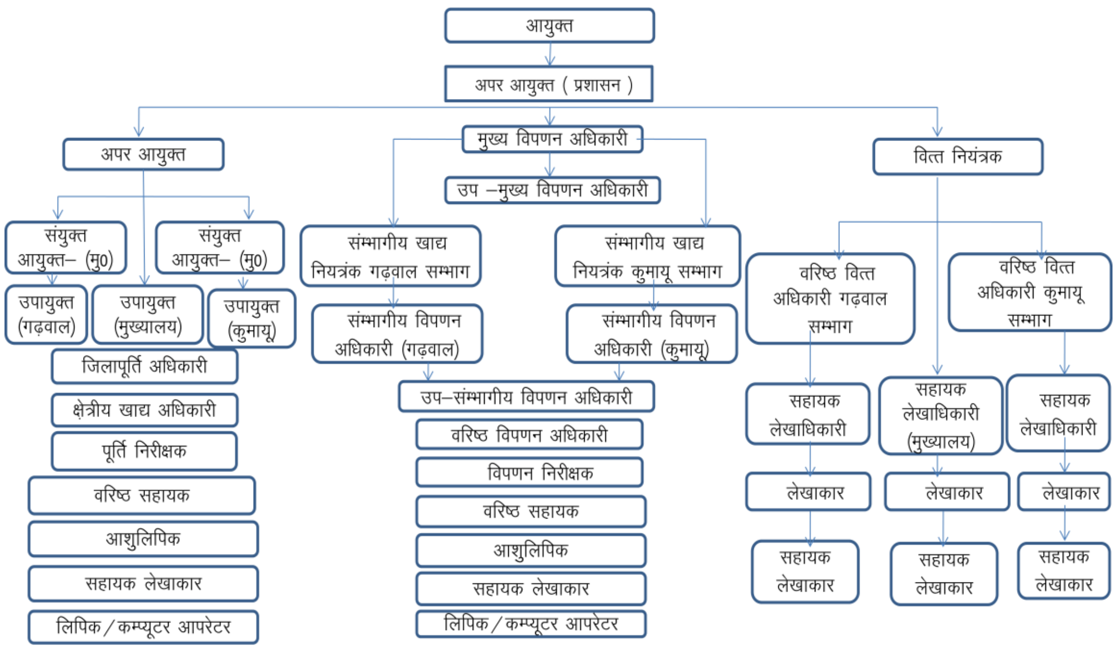

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 08.2010 से 04.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263153 के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263153 की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 05.2016, 07.2015 एवं 04.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- 1 :- धनराशि रु 26.07 लाख की वसूली का लम्बित होना।

राशन कार्ड की धनराशि जिला पूर्ति अधिकारी के खाता, रिवोल्विंग फण्ड में जमा कराई जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राशन कार्ड की धनराशि से संबन्धित लेखा-जोखा नियमानुसार रखा जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा रिवोल्विंग फंड के अंतर्गत मुद्रित कार्डों को संबन्धित इकाइयों को वितरित किया जाता है एवं वितरित किए गए कार्डों का मूल्य वसूल कर रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1067 2471 357) में जमा करना होता है। जिला पूर्ति अधिकारी के रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1067 2471 357) में दिनांक 28.05.2018 की तिथि में धनराशि रु 29,77,033/- अंतिम अवशेष (closing balance) पायी गई। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा चार प्रकार के राशन कार्ड "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-067)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-067)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-067)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-067)}" मुद्रित कराकर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य क्रमश: रु 5/-, रु 5/-, 5/- एवं रु 10/- की दर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को जारी करने हेतु निर्गत किए जाते हैं। जारी किए गए कार्डों का मूल्य उनसे प्राप्त कर रिवोल्विंग फंड में जमा करना होता है।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि दिनांक माह 03.2014 से माह 04.2018 की अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-067)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-067)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-067)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-067)}" के कुल 5,01,859 कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 36,26,150/- था। इसके सापेक्ष संबन्धित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से रु 10,18,930/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष रु 26,07,220/- की धनराशि वसूली 01 माह से 04 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 04.2018 तक लंबित थी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए लम्बित वसूली के सम्बन्ध में कहा कि "बार-बार पत्राचार किया जाता है। शीघ्र कार्यवाही की जाएगी"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि *01 माह से 04 वर्ष* व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रु 26,07,220/-/- की वसूली लम्बित थी एवं विभागीय क्षति से बचाने हेतु धनराशि रु 26,07,220/- की यथाशीघ्र वसूली की जानी चाहिये थी।

अत: धनराशि रु 26.07 लाख की वसूली के लम्बित होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर</u>- 1 :- धनराशि रु 14.47 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 126/ (1)/ xxvii (6)- T.C.A. 934- 2014 दिनांक 21.04.2017 (वित्त अनुभाग- 6) के अनुसार- "जितने भी बैंक खाते हैं, उन खातों में अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुये तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय। उक्त धनराशि को जमा कराने की विभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी रहेगी" ।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि बैंक शाखा- Bank of Baroda, Vikas Bhawan, Rudrapur, Udham Singh Nagar में जिला पूर्ति अधिकारी के नाम से खाता संख्या- **9845 0100 0013 22**, दिनांक 20.07.1997 से संचालित है। इस खाते में दिनांक 01.05.2010 से 31.03.2018 की अवधि में ब्याज की धनराशि **Rs 59,026/-** अर्जित पायी गई, जिसको सुसंगत लेखाशीर्षक में लेखापरीक्षा अवधि के माह 05/2018 तक जमा नहीं कराया गया था। कोषागार में जमा न करा पाने की स्थिति में इस धनराशि का कार्यालयीन कार्यों में व्यय हो जाने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता था।

Bank= Bank of Baroda, Vikas Bhawan, Rudrapur, U S Nagar
A/c No. – 9845 0100 0013 22
Date of Issue- 20.07.1997
Name- District Supply Officer, Udham Singh Nagar

Period of interest credited	Transaction Date	Interest Amount in Rs.
01.05.2010 to 31.10.2010	04.11.2010	290
01.11.2010 to 30.04.2011	07.05.2011	290
01.05.2011 to 31.10.2011	07.11.2011	343
01.11.2011 to 31.04.2012	07.05.2012	346
01.05.2012 to 31.10.2012	01.11.2012	356
01.11.2012 to 30.04.2013	01.05.2013	358
01.05.2013 to 31.10.2013	09.11.2013	638
01.11.2013 to 31.04.2014	05.05.2014	676
01.05.2014 to 31.10.2014	06.11.2014	701
01.11.2014 to 30.04.2015	08.05.2015	703
01.05.2015 to 31.10.2015	07.11.2015	729
01.11.2015 to 31.03.2016	15.04.2016	614
01.04.2016 to 30.06.2016	08.07.2016	373
01.07.2016 to 30.09.2016	07.10.2016	381
01.10.2016 to 31.12.2016	05.01.2017	385
01.01.2017 to 31.03.2017	08.04.2017	381
01.04.2017 to 30.06.2017	08.07.2017	10234
01.07.2017 to 30.09.2017	17.10.2017	14717
01.10.2017 to 31.12.2017	13.01.2018	13864
01.01.2018 to 31.03.2018	13.04.2018	12647
	Total=	**59,026/-**

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अर्जित ब्याज के संबंध में कहा कि "***यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी***"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि रु 59,026/- लम्बी अवधि से राजस्व शीर्ष में विगत कई वर्षों से जमा नहीं की गई।

अतः धनराशि रु. 59,026/- की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
SS/AIR-62/ 20110-11	NIL	NIL	1	NIL

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-62/ 2010-11	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- nil; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- nil; **STAN-** 1; एवं **TAN**- nil	अप्रस्तुत	STAN यथावत रखा जाता है।	--

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263153 तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एन.सी. सेमवाल	जिला पूर्ति अधिकारी	माह 01.08.2010 से दिनांक 03.08.2012 तक
श्री विपिन कुमार	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 03.08.2012 से दिनांक 10.07.2017 तक
श्री एस.एस. भाकुनी	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 10.07.2017 से दिनांक 12.07.2017 तक
श्री श्याम आर्या	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 13.07.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, नैनीताल रोड, रुद्रपुर, जनपद- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड- 263153 को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र